FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 28)

अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी..........

	बनाम	
प्रार्थीगण विरधा पुत्र पना हिन्दू गोद पुत्र रिड़मल जाति स्वारी निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		विप्रार्थीगण 1. भभूताराम पुत्र लुम्बाराम वगैरा (12) जाति स्वारी निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. शाखा गुड़ामालानी 14. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी 15. तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 212 रा.का.अ. सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. मु0नं0.......96../22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मैंजारी हुए
14.06.2022	प्रार्थीगण विरधा वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रामजीवन विश्नोई द्वारा विप्रार्थीगण भभूताराम वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त कृषि भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार मण्डल गुड़ामालानी के राजस्व ग्राम डावड में खसरा नम्बर 1194 रकबा 63–15 बीघा एवं खसरा नम्बर 1174 रकबा 67–18 बीघा एवं मौजा उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1485 रकबा 0–11 बीघा एवं खसरा नम्बर 1486 रकबा 61–00 बीघा की आई हुई है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा है परन्तु प्रार्थीगण के 1/6–1/6 हिस्से के बजाय सामलाती 1/4 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया है। वास्तविक हक हिस्से अनुसार खातेदारी घोषणा व बंटवाडा का वाद न्यायालय श्री में विचाराधीन है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्से की आड में विप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक की भूमि अर्थात प्रार्थीगण के हक हिस्से की भी भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी के सम्बन्ध में निवेदन किया कि यदि दोनों पक्षों को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक दोनों पक्षों को विवादित आराजी ग्राम डावड में खसरा नम्बर 1194 रकबा 63–15 बीघा एवं खसरा नम्बर 1174 रकबा 67–18 बीघा एवं मौजा उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1485 रकबा 0–11 बीघा एवं खसरा नम्बर 1486 रकबा 61–00 बीघा भूमि के सम्बन्ध में इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के एवं विप्रार्थीगण प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखंदाजी नहीं करें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 27.06.2022 को पेश हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी	प्रतिलिपि 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Meena
Date: 2024.12.05 20:22:25
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनीशियल जज
13/01/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। [illegible] पत्रावली दिनांक 07/02/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
07/02/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील उपस्थित। विपक्षीगण [illegible] इंतजार हो। कारण पत्रावली दिनांक [illegible] पेश हो।
21/2/2023	पत्रावली पेश हुई। कार्य हम दौरा [illegible] कार्य में व्यस्त है। अतः [illegible] पत्रावली आइन्दा 21/03/23....को पेश हो।
21/03/23	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकीलों के बहस सुनी। मौके पर विवाद की स्थिति को यथा स्थिति रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 13/04/2022 ~~मूल वाद के निर्णय तक जारी रहेगी~~ पत्रावली मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट (Confirm) की जाती है। पत्रावली [illegible] मूल वाद के साथ नत्थी हो। (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:22:25 IST
Reason: SelfAttested